| ख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **प्रार्थना पत्र संख्या 46 / 2020 GCMS NO. 2020/00463**<br>**उनवानी श्रीमती सरती आदि बनाम जोरावर आदि**<br>**अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955** | |
| 08.2024 | पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता उभय पक्षकारान को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर आये। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 2, 4, 6 से 9 की तामील करवाये जाने हेतु बार–बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र दायरी से लेकर आज तक अप्रार्थी संख्या 2, 4, 6 से 9 की तामील नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 2, 4, 6 से 9 की तामील कराने में कोई रूची नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>05/8/24<br><br>(सविता शर्मा)<br>आर.ए.एस.<br>उपखण्ड अधिकारी एवं<br>पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी<br>जिला नीमकाथाना (राज0)<br>**उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** | |